

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम- मण्डावर (दौसा)

मु.न- 53/21(पबिका) उनवान राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार वैजूपाडा बनाम पटवारी हल्का बालाहेडा
 मु० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 132 व राज. भू. नियम 1957 की धारा 58, 59, 60, 66 एवं 86

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व
तारीख
अहकाम
जो इस
हुकम की
तानील में
जारी हुए

15/12/2021

प्रार्थी तहसीलदार वैजूपाडा के द्वारा राजस्व ग्राम बालाहेडा तहसील मण्डावर हाल वैजूपाडा के सिवायक भूमि खसरा नम्बर 2863 रकबा 9.69 में से रकबा 0.07 हैक्टे. किस्म बंजड भूमि अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 का मय दस्तावेजात् नकल जमावंदी, नकल नक्शा, मौके रिपोर्ट पटवारी हल्का बालाहेडा एवं भू.अ.नि. वैजूपाडा एवं परिशिष्ट-ए एवं अभिशंषा तहसीलदार वैजूपाडा प्रस्तुत करने पर पत्रावली प्रशासन गाँवों के संग अनियान 2021 कैम्प बालाहेडा में पेश हुई। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जावे।

तहसीलदार वैजूपाडा की रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्तावित रास्ते की भूमि सार्वजनिक उपयोग में आ रही है एवं मौके पर कच्चा रास्ता बना हुआ है जो हरसहाय मावडा के घर से बालाहेडा से पहाड़ को जाने वाले रास्ते को जोड़ता है। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में बंजड दर्ज है। इसलिये राजस्व रिकॉर्ड में गै० मु० रास्ता आमजन हित में दर्ज किया जाना प्रस्तावित है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का बालाहेडा तहसीलदार वैजूपाडा व अन्य संलग्न दस्तावेजात् व सुरसंगत विधि प्रावधानों का अवलोकन किया गया। जिसमें उपरोक्त वर्णित बंजड भूमि के मौके पर रास्ता प्रस्तावित नक्शे के आमजन आवागमन हेतु रास्ता चालू होने से प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 स्वीकार किया जाता है। उक्त विवरण के संलग्न रिपोर्ट नक्शा के राजस्व रिकॉर्ड में से गै० मु० रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

क्र० सं०	नाम ग्राम	खं नं	रकबा	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा जो मौके पर चालू है।
01	बालाहेडा	2863	9.69	बंजड	0.03

तहसीलदार वैजूपाडा उपरोक्त विवरण के संलग्न रिपोर्ट नक्शा लाल स्याही से प्रस्तावित रकबे को गै० मु० रास्ता दर्ज तरमीम राजस्व रिकॉर्ड में अमल परामद करे। खातेदारी यथावत रहेगी। रिपोर्ट पटवारी हल्का, तहसीलदार/नक्शा ट्रेस निर्णय का पार्ट रहेगा। तहसीर जारी हो।

मिसल फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम हो। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)